राजस्थान सरकार
कार्यालय उपनिदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, भरतपुर
मकान नं. – 3 सर्किट हाऊस के सामने, MSJ कॉलेज रोड़, भरतपुर
E-mail ID : bharatpur.we@rajasthan.gov.in

क्रमांक–म.अ./एमएसएसके/404 **दिनांकः 15.06.2026**

विज्ञप्ति

पुलिस सर्किल **भरतपुर, सेवर, रूपवास, बयाना, भुसावर, नदबई** के पुलिस थाना परिसर में महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र के संचालन हेतु महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र नियमन एवं अनुदान योजना (संशोधित), 2024 के नियम 6 के अनुसरण मे एवं नियम 7 में वर्णित पात्रताधारी गैर–शासकीय संस्थाओ से एतद्द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है।

आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25.06.2026 को प्रातः 11:00 बजे तक कार्यालय उपनिदेशक, महिला अधिकारिता, भरतपुर के कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते है जिसका प्रारूप, पात्रता की शर्ते तथा अधिसूचना कार्यालय उपनिदेशक, महिला अधिकारिता, भरतपुर से प्राप्त किये जा सकते है या विभागीय वेबसाइट www.wcd.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किये जा सकते है। अधिक जानकारी के लिये उपनिदेशक, महिला अधिकारिता, भरतपुर से सम्पर्क किया जा सकता है।

(राजेश कुमार)
उपनिदेशक
महिला अधिकारिता,भरतपुर

क्रमांक– म.अ./एमएसएसके/405–09 **दिनांकः 15.06.2026**

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. श्रीमान शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान निदेशक, महिला अधिकारिता, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को विज्ञप्ति की प्रति भेजकर अनुरोध है कि उक्त विज्ञप्ति एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र में न्यूनतम साइज में प्रकाशित कराने का श्रम करावे।
4. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता ,राज., जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि विज्ञप्ति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
5. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतू।

उपनिदेशक
महिला अधिकारिता,भरतपुर

महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र संचालन हेतु
आवेदन प्रपत्र

(महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना अधिसूचना (संशोधन)–2024 के नियम 6 एवं 7 के अंतर्गत)

उपनिदेशक,
महिला अधिकारिता,
भरतपुर

विषयः– पुलिस थाना .....में महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के संचालन हेतु।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हमारी संस्था जिला भरतपुर में महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र संचालित करने की इच्छुक है। संस्था का पूर्ण विवरण निम्नप्रकार से है–

(क) संस्था का परिचय

संस्था का नाम	
रजिस्ट्रेशन अधिनियम एवं संख्या	प्रमाणित प्रति संलग्न करें
संस्था का पंजीकृत्त कार्यालय – पूर्ण पता	
संस्था का संविधान	प्रति संलग्न करें
संस्था की कार्यकारिणी	प्रति संलग्न करें
टेलीफोन व मोबाईल नंबर	
फैक्स	
ई–मेल, यदि हो	
वेबसाईट, यदि हो	

(ख) संस्था के कार्य एवं अनुभव

संस्था का कार्यक्षेत्र	
संस्था के मूल उद्देश्य	
संस्था द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही गतिविधियों का विवरण	संक्षिप्त विवरण दे। विस्तृत सूचना के लिए अलग से शीट लगाई जा सकती है
संस्था द्वारा अब तक जिन क्षेत्रों में कार्य किया गया है उसका पूर्ण विवरण	संक्षिप्त विवरण दे। विस्तृत सूचना के लिए अलग से शीट लगाई जा सकती है
संस्था द्वारा महिलाओं के लिए विशेष रूप से चलाए जा रहे कार्यक्रमों का विवरण	संक्षिप्त विवरण दे। विस्तृत सूचना के लिए अलग से शीट लगाई जा सकती है
क्या संस्था को व्यथित महिलाओं की सलाह और मार्गदर्शन आदि क्षेत्र का अनुभव है, यदि हां तो कब से इस क्षेत्र में कार्य कर रही है तथा विस्तृत विवरण	संक्षिप्त विवरण दे। विस्तृत सूचना के लिए अलग से शीट लगाई जा सकती है

(ग) संस्था की प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्था

<table>
<tr><td>संस्था में कर्मियों की कुल संख्या व विवरण</td><td><table><tr><td>नाम</td><td>प्द</td><td>शैक्षणिक योग्यता</td><td>अनुभव</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>पिछले तीन वर्षो में संस्था की आय के स्त्रोत एवं व्यय का विवरण</td><td>तीन वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करें</td></tr>
<tr><td>संस्था की वार्षिक रिपोर्ट</td><td>तीन वर्ष की रिपोर्ट की प्रतियॉ संलग्न करें</td></tr>
<tr><td>अन्य विवरण जो देना चाहे</td><td></td></tr>
</table>

घोषणा

यह प्रमाणित किया जाता है कि .....(संस्था का नाम) के संबंध में प्रपत्र में दी गई सभी सूचनाऐ, जहा तक जानकारी है, सही और तथ्यों पर आधारित है।

हम संस्था के निम्न पदाधिकारी यह प्रमाणित करते हैं कि महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना अधिसूचना (संशोधन)–2024 में दी गई शर्तो एवं समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों/आदेशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा। यदि कार्य की अवधि में संस्था द्वारा संपादित कार्य असंतोषजनक पाया जाता है तो राज्य सरकार संस्था की मान्यता समाप्त कर सकेगी।

हस्ताक्षर संस्था पदाधिकारी

हस्ताक्षर (अध्यक्ष)

नाम

पता/टेलीफोन नं.

स्थान–

हस्ताक्षर(सचिव)

नाम

पता/टेलीफोन नं.

दिनांक–

महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के संचालन हेतु महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना अधिसूचना (संशोधन)–2024 के अन्तर्गत आवेदन हेतु पात्रता की शर्तें निम्नानुसार है

1. कोई भी संस्था जो राजस्थान संस्था अधिनियम, 1986 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) अथवा सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत अथवा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12 AA में अथवा राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1959 का 42) ट्रस्ट के रुप में पंजीकृत हो तथा राजस्थान में कार्यरत हो।
2. विज्ञप्ति की दिनांक को संस्था का पंजीकरण तीन वर्ष से पूर्व का होना अपेक्षित है और इस अवधि में संस्था नियमित रुप में पंजीकृत हो तथा राजस्थान राज्य में कार्यरत हो।
3. उन संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी जो महिला सुरक्षा एवं सहायता तथा महिला विकास एवं सशक्तीकरण के क्षेत्र में कार्यरत एवं अनुभवी हों।
4. घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 10 की उपधारा (1) के अंतर्गत सेवा प्रदाता के रुप में पंजीयन को प्राथमिकता होगी। चयनित संस्था के पास यदि यह पंजीयन नही है तो अनुबंध संपादित करने के उपरांत यथा शीघ्र अथवा 6 माह में उक्त पंजीयन करवाना आवश्यक व अनिवार्य होगा। ऐसा नही करने पर संस्था के साथ निष्पादित अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।
5. नीति आयोग के द्वारा संचालित एनजीओ दर्पण पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य है। चयनित संस्था का पंजीयन नही होने की स्थिति में 1 माह में पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा तथा आवेदन पत्र के साथ इस आशय का द्योषणा–पत्र संलग्न करना होगा।
6. स्थानीय कार्यालय, सम्पर्क सूत्र एवं प्राधिकृत व्यक्ति का विवरण देना आवश्यक एवं अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन निरस्त माना जावेगा।
7. संतोषजनक कार्य एवं कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालयाध्यक्ष का पृथक से प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्रों में **सफलतापूर्वक एवं संतोषजनक सेवा** का अंकन करवाना अनिवार्य होगा।
8. एक संस्था को अधिकतम 2 ही महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र का आवंटन किया जावेगा। इस संदर्भ महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रों की संख्या के संबंध में **स्वद्योषणा प्रस्तुत करना** अनिवार्य है
9. चयनित संस्था महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना (संशोधित), 2024 एवं उसके अनुक्रम में जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र का संचालन करेगी।
10. इस हेतु चयनित संस्था पुलिस अधीक्षक एवं उप निदेशक, महिला अधिकारिता, भरतपुर के मार्ग दर्शन में संबंधित पुलिस थाना परिसर में केन्द्र संचालन की व्यवस्था करेगी।
11. चयनित संस्था ऐसे व्यक्तियों को परामर्शदाता के रुप में चयन करेगी, जो योजना के निर्देशों के अनुरुप तथा महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के संचालन में प्रशिक्षित/अनुभवी/योग्य महिला हों एवं परामर्शदाता के रुप में अनुभवी हों।
12. **केन्द्र पर नियुक्त परामर्शदाताओं की नियुक्ति के संबंध में समस्त जिम्मेदारी संस्था की रहेगी। अनुबंध समाप्त होने अथवा शर्तों की अवहेलना होने पर उनका परामर्शदाताओं के पद पर कोई अधिकार नही**

रहेगा और इस संबंध में विभाग के विरुद्व किसी प्रकार का वाद दायर नही किया जायेगा / पक्षकार नहीं बनाया जायेगा।

13. संस्था द्वारा परामर्शदाता का भुगतान सीधे ही उनके खाते में आवश्यक रुप से किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में परामर्शदाता को नगद भुगतान नही किया जाएगा।
14. यदि संस्था के किसी कृत्य या अकृत्य से व्यथित होकर परामर्शदाता न्यायालय में अनुतोष पाने की कार्यवाही करता है और उसमें विभाग अथवा किसी अन्य अधिकारी को पक्षकार बनाता है तो इस कार्यालय पर पडने वाला समस्त आर्थिक भार संबंधित संस्था को वहन करना पडेगा।
15. चयनित संस्था यदि वर्तमान में घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सेवा प्रदाता के रुप में पंजीकृत नही है तो उसे घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण नियम, 2006 के नियम 11 के अनुसार सेवा प्रदाता पंजीकरण के लिए जिला कलक्टर के माध्यम से आवेदन करेगा।
16. यदि चयनित संस्था द्वारा नियमानुसार केन्द्र का संचालन करना नही पाया गया अथवा उसे कार्य के लिए भविष्य में अनुपयुक्त पाया गया तो उसे इस कार्य से विमुक्त किया जा सकेगा।
17. चयनित संस्था को महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना (संशोधित), 2024 के नियमों के अनुसार एवं भविष्य में विभाग द्वारा संशोधित दिशा –निर्देशों के अनुसार अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।
18. क्रय किये गये/उपलब्ध सामान की सूची मय कीमत के उप निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग एवं थाना प्रभारी को दी जायेगी। केन्द्र पर उपलब्ध सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी चयनित संस्था की होगी।
19. यदि किसी कारणवश चयनित संस्था केन्द्र संचालन में असमर्थ रहती है तो अनावर्तक मद में क्रय किया गया सामान थाना प्रभारी का संभलाया जाएगा जिसका उपयोग उस केन्द्र हेतु चयनित किसी अन्य संस्था द्वारा किया जा सकेगा।
20. जहां तक संभव होगा चयनित संस्था को केन्द्र के संचालन के लिए स्थान एवं अन्य सुविधाऐं थाना परिसर में उपलब्ध कराई जायेगी।
21. संचालन अवधि अनुबंध दिनांक से एक वर्ष के लिए होगी। जिसे नियमानुसार बढाया जा सकेगा।
22. चयनित संस्था महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र की सूचनाओं, पीडिता की जानकारी आदि की जानकारी गोपनीयता को बनाये रखेगी। यदि चयनित संस्था गलत आचरण से उक्त सूचना को प्राप्त करती है अथवा प्रकट करती है, तो विभाग द्वारा अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा।
23. महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना (संशोधित), 2024 की शर्तों/निर्देशों, समय–समय पर जारी विभागीय आदेशों/निर्देशों, वित्तीय अनियमितता, असंतोषप्रद सेवा, महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र की/व्यथितों की आदि की गोपनीयता भंग करने की दशा में संस्था का अनुबंध किसी भी समय समाप्ति का अधिकार कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
24. किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर निपटान जिला कलक्टर, भरतपुर (अध्यक्ष– जिला महिला समाधान समिति) द्वारा किया जाएगा।
25. संस्था का चयन सलग्न मापदण्ड अनुसार किया जायेगा।
26. सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र भरतपुर होगा।

उपनिदेशक
महिला अधिकारिता,भरतपुर

स्व–घोषणा पत्र

मै/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि –

1. मेरी/हमारी संस्था द्वारा सम्पूर्ण राजस्थान में कुल.....जिलों में कुल.....महिला एवं सुरक्षा सलाह केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है, जो निम्न सारणी अनुसार है:–

क्र.सं.	नाम जिला	आवंटित कुल महिला एवं सुरक्षा सलाह केन्द्रों की संख्या

(अधिक होने की स्थिति में सूची संलग्न करें।)

2. मेरी/हमारी संस्था द्वारा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 10 की उपधारा (1) के अन्तर्गत सेवा प्रदाता के रुप में पंजीयन नहीं होने की स्थिति में अनुबंध संपादित करने के उपरांत यथा शीघ्र अथवा 6 माह में उक्त पंजीयन करवा लिया जावेगा। ऐसा नही करने पर मेरी/हमारी संस्था के साथ निष्पादित अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।
3. मेरी/हमारी संस्था द्वारा नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल पर पंजीयन नही होने की स्थिति में अनुबंध संपादित करने के उपरांत संस्था का पंजीयन 1 माह में करवा लिया जावेगा।

महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के संचालन हेतु संस्था के लिए मापदण्ड (अंक विभाजन)

क्र. सं.	विवरण	निर्धारित अंक	संस्था द्वारा स्व मूल्यांकन	समिति द्वारा मूल्यांकन
1.	कोई भी संस्था जो राजस्थान संस्था अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम 8, 1958) अथवा सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत अथवा आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43) की धारा 12AA में अथवा राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 (1959 का 42) ट्रस्ट के रुप में पंजीकृत हो तथा राजस्थान राज्य में कार्यरत हो	5		
2.	स्थानीय कार्यालय एवं सम्पर्क सूत्र (भरतपुर नगरीय सीमा में)	5		
3.	घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सेवा प्रदाता के रुप में पंजीकृत–	5		
4.	नीति आयोग द्वारा संचालित एनजीओ दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत – 5	5		
5.	महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के संचालन का अनुभव (प्रति वर्ष प्रति कार्यालय/संस्थान) एवं सम्बन्धित कार्यालय से कार्य संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र – **प्रति वर्ष 2 अंक (अधिकतम 10 अंक)**	10		
6.	महिलाओं सशक्तिकरण योजनाओं/VAW में दी गई सेवाओं के संबंध में कोई पुरस्कार– • जिला कलक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र • विभागाध्यक्ष अर्थात निदेशक / आयुक्त द्वारा जारी प्रमाण पत्र • केन्द्र सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र ➢ अवार्ड प्रमाण पत्र संस्था के या CEO / अध्यक्ष के ना का ही मान्य होगा।	10		

उपनिदेशक
महिला अधिकारिता,भरतपुर